न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 01/2021

1. लालाराम पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी छतरी वाली ढाणी, दौसा खुर्द जिला दौसा नॉगल राजावतान जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र कन्हैया,
2. कैलाश पुत्र कन्हैया,
3. मदनलाल पुत्र लल्लू
4. दिनेश पुत्र लल्लू
5. रामावतार पुत्र लल्लू
6. गुलाब देवी पत्नि लल्लू
7. गीता पुत्री लल्लू

समस्त जाति मीना निवासी छतरी वाली ढाणी, दौसा

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 219 दिनांक 25.7.1976 बाबत विरासत अपीलांट व रेस्पोडैन्ट के पिता कन्हैयालाल फौतीदगी पर।

उपस्थित–1. श्री मिटठनलाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार,
3. श्री मलखान सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 लगायत 07 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 27-10-2021

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 25.07.1976 को नामान्तरकरण सं0 219 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। पक्षकारान द्वारा लिखित राजीनामा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा का नामांतरकरण संख्या 219 दिनांक 25.07.1976 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामांतरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 के पिता कन्हैयालाल के देहान्त हो जाने के कारण विरासत का नामांतरकरण खोल दिया। अपीलाधीन नामांतरकरण खोलकर तस्दीक करने के समय अपीलांट नाबालिग था। नामांतरकरण बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना इकतरफा में अनुपस्थिति में खोला गया है। नामांतरकरण खोलते समय अपीलांट से कोई पूछताछ नहीं की गई। अपीलांट का वास्तविक नाम लालाराम है, घरेलू प्यार का नाम लोहडया ही दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट का नाम लालाराम विरासत में दर्ज होना चाहिए था। अपीलांट का अधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, व पहचान पत्र में भी अपीलांट का नाम लालाराम अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 द्वारा अपीलांट का नाम लालाराम के स्थान पर लोहडया गलत दर्ज कर दिया। उक्त नाम की भिन्नता के कारण अपीलांट को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सका। इस संबंध में जानकारी होने पर अंदर मियाद दफा–5 कानून मियाद अधिनियम के प्रा0

पत्र के साथ अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें एवं अपीलांट का नाम लोहडया की जगह लालाराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सहवन से दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही पूर्व में ही करवानी चाहिए, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 02 लगायत 07 ने अपीलांट का नाम लोहडया के स्थान पर लालाराम किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 25.07.1976 को नामान्तरकरण सं0 219 विरारसत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में कन्हैया के फौत होने पर कन्हैया की विरासत जगदीश, लोहडया, लल्लू, कैलाश पिसरान कन्हैया दर्शायी गयी है और तदनुसार पटवारी हल्का ने कन्हैया के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच भू अभिलेख निरीक्षक के अंकित कर तहसीलदार ने दिनांकं 25.07.1976 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। उक्त नामांतरकरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट का नाम लोहडया की जगह लालाराम दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट एवं रेस्पोडैन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा एक राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के हक में नामांतरकरण संख्या 219 दिनांक 25.07.1976 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम लालाराम के स्थान पर लोहडया गलत दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम लालाराम है। अपीलांट नामातरकरण तस्दीक करते समय नाबालिग था। पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाकर अपीलांट का वास्तविक नाम लालाराम से भिन्न लोहडया गलत दर्ज कर दिया है। अपीलांट का वास्तविक नाम लालाराम शुद्ध किये जाने में रेस्पोडैन्ट संख्या 02 लगायत 07 को कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 01 लगायत 07 मृतक कन्हैया के कानूनी वारिसान है। अपीलांट का सही नाम लोहडया के स्थान पर लालाराम किये जाने में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 07 कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न राशनकार्ड की प्रति एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट का नाम लालाराम पुत्र कन्हैयालाल अंकित है। इस न्यायालय द्वारा सीधे ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 219 पर पारित आदेश दिनांक 25.07.1976 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमांड कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 अक्टूबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official